सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2022 / 250(88 / 2022) दर्ज तिथिः–05.08.2022

1. तारी पुत्री रायमल पत्नी वीथाराम
   जाति देवासी निवासी बांटा हाल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. जेरूपा पुत्र रायमल
2. माला पुत्र रायमल
3. मगा पुत्र रायमल
   जाति देवासी निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
4. उदयभान पुत्र मूलसिंह
5. उषाकंवर पत्नी मुलसिंह
6. चन्द्रवीरसिंह पुत्र मूलसिंह
7. मेघसिंह पुत्र किशोरसिंह
8. रतनसिंह पुत्र किशोरसिंह
9. राजूसिंह पुत्र किशोरसिंह
10. सवाईसिंह पुत्र किशोरसिंह
    जाति राजपूत निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री हरिशचन्द्र चौधरी
प्रतिवादीः–श्री नारायण कुमावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–29.09.2025

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

- कि आराजी खसरा संख्या 256/0.0243 है0, 257/1.3840 है0 मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में वादीनी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज रायमल के समय की खातेदारी आराजी दर्ज रिकार्ड है।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज रायमल के तीन पुत्र जेरूपा पुत्र रायमल, मगा पुत्र रायमल, माला पुत्र रायमल एवं चार पुत्री तारी, बीबा, सुकी, सूजा थे। रायमल पुत्र रूगा के फौत होने पर उनके तीन पुत्र जेरूपा पुत्र रायमल, मगा पुत्र रायमल, माला पुत्र रायमल एवं चार पुत्री तारी, बीबा, सुकी, सूजा वारिस हैं।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 अपने पूर्वज रायमल पुत्र रूगा के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। इस स्थिति में उक्त आराजी में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के पिता रायमल पुत्र रूगा के 1/3 हिस्से में वादीनी का 1/42 हिस्सा कानूनन निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

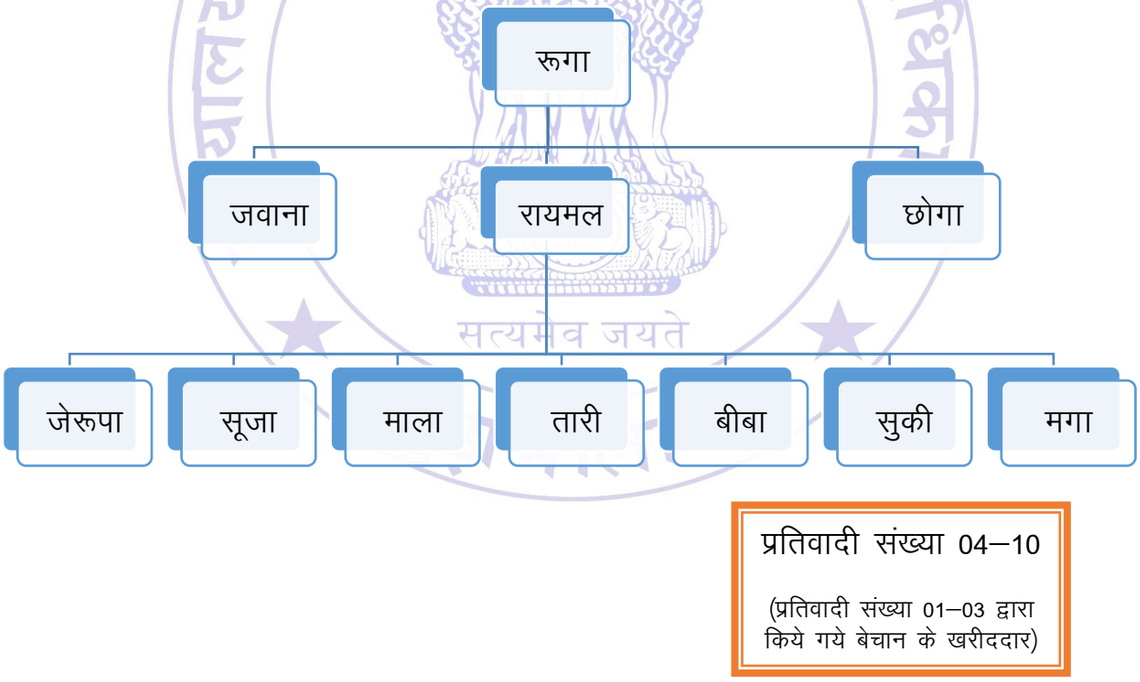

- कि वादीनी के पिता रायमल पुत्र रूगा का देहांत होने पर फौतगी नामांतरकरण 363 ग्राम पंचायत आलपुरा द्वारा केवल प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया तथा वादीनी अपनी उक्त पैतृक आराजी में अपने हक हिस्से 1/42 से वंचित कर दिया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादीगण के अपने पूर्वज रायमल पुत्र रूगा के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा है। एक सहदायक का कब्जा सभी सहदायकों का कब्जा माना जाता है।
- कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 ता 10 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। उक्त बयनामा में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा से पाबंद व जिम्मेदार नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। इस आधार पर वादीगण अपने हिस्से की पैतृक भूमि में घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के अपने पूर्वज रायमल के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। उक्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का कब्जा है। एक सहदायक का कब्जा सभी सहदायकों का कब्जा माना जाता है। इस कारण उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा द्वारा प्रतिवादी संख्या 04–10 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या 04–10 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 04–10 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतु आमदा है। प्रतिवादी संख्या 04–10 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण अवैध रूप से कब्जा प्राप्ति के कारण प्रतिवादी संख्या 04–10 का कब्जा अतिक्रमण माना जाकर प्रतिवादी संख्या 04–10 को अतिक्रमी माना जाएगा।
- कि बयनामा में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा से पाबंद व जिम्मेदार नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।
- कि प्रतिवादी संख्या 04–10 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 04–10 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतू आमदा है। उक्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–03 का कब्जा है। एक सहदायक का कब्जा सभी सहदायकों का कब्जा माना जाता है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 04–10 के विरूद्ध वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
- कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01–03 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा द्वारा प्रतिवादी संख्या 04–10 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। इस कारण प्रतिवादी संख्या 04–10 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 04–10 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

आमादा है। इस प्रकार वादीगण को उक्त दावा हेतु बिनायदावा उत्पन्न हुआ है।

- कि वादीगण के उक्त आधारों पर निम्न अनुतोष निवेदित हैः—
    1. उक्त आराजी में वादीगण का 1/42 हिस्सा घोषित किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जावे।
    2. प्रतिवादी संख्या 01—03 द्वारा प्रतिवादी संख्या 04—10 के पक्ष में निष्पादित बयनामा वादीगण के अधिकारों के प्रति आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जावे।
    3. वादीगण के हिस्सों के अतिरिक्त प्रतिवादीगण संख्या 01—03 के हिस्से की भूमि का वादीगण का प्रतिवादीगण संख्या 01—03 के स्व0 रायमल पुत्र रूगा के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के आधार पर घोषित हिस्सा का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
    4. वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
    5. अन्य अनुतोष।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 के अतिरिक्त शेष प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण के दावा का जवाब प्रस्तुत करते हुए जवाबदावा पेश कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः—
    - कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद में सजरा गलत प्रस्तुत किया गया है। वादीनी खरथाराम के परिवार की सदस्या नहीं है। वादीनी का प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के परिवार से कोई संबंध सरोकार नहीं है।
    - कि मौजा आलपुरा की आराजी खसरा संख्या 256, 257 प्रतिवादी संख्या 04—10 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। वादीनी द्वारा तथ्य छुपाकर वाद पेश किया है। उक्त भूमि में वादीनी किस प्रकार से 1/42 की हिस्सेदार है। इसका उल्लेख वादीनी द्वारा नहीं किये जाने से वाद विधि द्वारा वर्जित होकर काबिल—ए—खारिज है।
    - कि वादीनी प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के पिता रायमल की जायंदा पुत्री नहीं है। इस कारण रायमल की फौतगी के विरासत को चुनौती देने की वादीनी अधिकारिणी नहीं है।
    - कि मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 04—10 के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। उक्त आराजी भूलवंश गलत पर्चा लगान जारी होने से प्रतिवादी संख्या 01—03 के पूर्वज जवाना, रायमल एवं छोगा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। जिसका पंजीबद्ध बयनामा प्रतिवादीगण द्वारा नगद प्रतिफल प्राप्त कर निष्पादित करवाया है। उक्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से आदिनांक तक कब्जा प्रतिवादी संख्या 04—10 एवं उनके पूर्वजों का रहा है। इस प्रकार उक्त पंजीबद्ध बयनामा को चुनौती देने का अधिकार वादीनी को नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

- कि स्व0 रायमल के फौत होने पर फौतगी की विरासत के नामांतरकरण में रायमल की सभी पुत्रियां सूजा, बीबी, सुकी के द्वारा आपसी सहमति से उक्त नामांतरकरण जेरूपा, माला, मगा के नाम से दर्ज करवाया गया। जिसके संबंध में कोई विवाद नहीं है।
- कि वादीनी का मुतनाजा आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। बिना कब्जे की मांग किये वादीनी द्वारा घोषणा का वाद पेश किया है। जो पोषणीय नहीं होने से काबिल–ए–खारिज है। वादीनी द्वारा मनगढत तथ्यों के आधार पर अपने आप को गलत वारिस बताकर उक्त दावा प्रस्तुत किया है। इस प्रकार वादीनी घोषणा का वाद पेश करने की अधिकारिणी नहीं है।
- कि वादीनी द्वारा अपने वादपत्र में पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त दावा में राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं होने से काबिल–ए–खारिज है।
- कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण लगातार काबिज काश्त रहे हैं। वादकारण उत्पन्न होने के पश्चात् 12 वर्षों के भीतर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार वादीनी का वाद म्याद बाहर होने एवं वादीनी का कब्जा काश्त नहीं होने से वादकारण उत्पन्न नहीं होने के आधार पर काबिल–ए–खारिज है।

3. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गयेः–

    1. आया वादीया हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिस होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

    .....वादीया

    2. आया वादीया हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिस होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा अपने हिस्से से अधिक आराजी के किये गये बेचान के पंजीकृत दस्तावेज को वादीया के हक हिस्से तक आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।

    ..... वादीया

    3. आया वादीया हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिस होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार पर विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक वाद पत्र वर्णित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

    ..... वादीया

    4. आया वादीया का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं होने के कारण कब्जा की मांग किये बिना घोषणा वाद पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है।

    .....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

5. आया वादीया ने म्याद बाहर दावा पेश किया गया है। वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण वाद खारिज योग्य है।

.....प्रतिवादीगण

6. आया हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत अनुतोष देने का तथा पंजीबद्ध बैचान शुन्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है।

.....प्रतिवादीगण

7. अन्य दादरसी

.....उभय–पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए–

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 349 सम्वंत 2076–2079	प्रदर्श–01
जमाबंदी	खाता संख्या 371 सम्वंत 2076–2079	प्रदर्श–02
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 363 ग्राम पंचायत आलपुरा	प्रदर्श–03
–	जनाधार तारीदेवी	प्रदर्श–05

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
तारी पुत्री रायमल पत्नी वीयाराम	देवासी	बांटा हाल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी	पी0डब्ल्यू0–1
वीयाराम पुत्र मिश्राराम	देवासी	बांटा तहसील गुड़ामालानी	पी0डब्ल्यू0–2

6. प्रकरण में तारी पुत्री रायमल पत्नी वीयाराम पी.डब्ल्यू.–01 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार कथन किये–

- कि आराजी खसरा संख्या 256 / 0.0243 है0, 257 / 1.3840 है0 मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में वादीनी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज रायमल के समय की खातेदारी आराजी दर्ज रिकार्ड है।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज रायमल के तीन पुत्र जेरूपा पुत्र रायमल, मगा पुत्र रायमल, माला पुत्र रायमल एवं चार पुत्री तारी, बीबा, सुकी, सूजा थे। रायमल पुत्र रूगा के फौत होने पर उनके तीन पुत्र जेरूपा पुत्र रायमल, मगा पुत्र रायमल, माला पुत्र रायमल एवं चार पुत्री तारी, बीबा, सुकी, सूजा वारिस हैं।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 अपने पूर्वज रायमल पुत्र रूगा के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। इस स्थिति में उक्त आराजी में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के पिता रायमल पुत्र रूगा के 1/3 हिस्से में वादीनी का 1/42 हिस्सा कानूनन निहित है।

- कि आराजी खसरा संख्या 256/0.0243 है0, 257/1.3840 है0 मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में वादीनी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज रायमल के समय की खातेदारी आराजी दर्ज रिकार्ड है।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज रायमल के तीन पुत्र जेरूपा पुत्र रायमल, मगा पुत्र रायमल, माला पुत्र रायमल एवं चार पुत्री तारी, बीबा, सुकी, सूजा थे। रायमल पुत्र रूगा के फौत होने पर उनके तीन पुत्र जेरूपा पुत्र रायमल, मगा पुत्र रायमल, माला पुत्र रायमल एवं चार पुत्री तारी, बीबा, सुकी, सूजा वारिस हैं।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 अपने पूर्वज रायमल पुत्र रूगा के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। इस स्थिति में उक्त आराजी में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के पिता रायमल पुत्र रूगा के 1/3 हिस्से में वादीनी का 1/42 हिस्सा कानूनन निहित है।

7. प्रकरण में तारी पुत्री रायमल पत्नी वीयाराम पी.डब्ल्यू.–01 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि यह कहना सही है कि शपथ–पत्र वकील साहब द्वारा लिखा गया है मेरे सिर्फ अगुष्ठ के निशान करवाए है। शपथ–पत्र में क्या लिखा है मेरे को पता नहीं है। मैने यह दावा मेरा भाई मेरे घर नहीं आता है इस कारण पेश किया है। दूसरा कोई कारण नहीं है। यह दावा मैने मेरे भाईयों को घर लाने हेतु किया है। इसके अलावा इस दावे में और कुछ नहीं मांगा है। मै मेरे ससुराल बांटा में रहती हुं। यह कहना सही है मेरे को आलपुरा गए हुए 30 साल हुए है। मेरा घर खेत बांटा गांव में है। बांटा ग्राम में ही काश्त करती हु। रायमल की दो पुत्रियां बीबी व चुकी है। जैरूपा माला व मगा तीन लडके है। यह मुझे जानकारी नहीं है कि चंदा का रायमल से क्या संबंध था। यह कहना सही है कि इस वादग्रस्त आराजी में किशोर सिंह मेंघसिंह राजुसिंह सवाईसिंह व रतनसिंह की रहवासी ढाणियां बनी हुई है। इनकी ढाणियां बने हुए लगभग 30 वर्ष हो गए है। वादग्रस्त आराजी पर किशोरसिंह मेंघसिंह राजुसिंह सवाईसिंह व रतनसिंह का परिवार काश्त करता है। यह कहना सही है कि मै रायमल की पुत्री होने का कोई कागजाद सबुत इस फाईल में नहीं लगाया है। यह दावा मेरे पति के कहने से पेश किया है। अजखुद कहा कि यह दावा मेरे द्वारा पेश किया गया है। यह कहना सही है कि जमीन के भाव बढ गए है। यह कहना सही है कि जमीनों में भाव में बढोतरी होने पर मैने जमीन लेने हेतु दावा पेश किया है। यह मुझे जानकारी नहीं है कि यह जमीन तीन से चार बार बेचान हो चुकी है।

8. प्रकरण में वीयाराम पुत्र मिश्राराम पी.डब्ल्यू.–2 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि आज मैं पहली बार कोर्ट में बयान देने आया हूं। आज से पहले मैंने कोर्ट में लिखित में बयान नहीं दिए। आज जो बयान दे रहा हूं मौखिक बयान दे दहा हूं। यह दावा किस खेत का है जिसका खसरा संख्या मुझे पता नहीं है। मेरा घर, निवास व खेत बांटा में है। मैं खेतीबाड़ी बांटा में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

ही करता हूं। मेरे घरवाली विकलांग होने के कारण खेतीबाड़ी नहीं कर सकती है। जिस जमीन का मैंने दावा पेश किय गया है उस जमीन पर किशोरसिंह, मेघसिंह, राजूसिंह, सवाईसिंह, रतनसिंह, चन्द्रवीरसिंह की ढाणिया बनाई हुई है व कब्जा किया हुआ है। इस दावे वाली जमीन पर किशोरसिंह, मेघसिंह, राजूसिंह, सवाईसिंह, रतनसिंह, चन्द्रवीरसिंह खेती करते है। इनको घर बनाए 30 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। मेरे घर वाली पढी लिखी नहीं होने के कारण मेरे से दावे की सलाह नही ली। दावा खुद उसने किया। दावा वाली जमीन पर मैने कभी काश्त नहीं की। दावा के साथ क्या क्या कागज लगाए मुझे पता नही वकील साहब ने लगाए है। रायमल के तीन लड़के जेरूपा, माला, मघा व दो पुत्रिया बीबा व चुकी है। चन्दा, रायमलजी का भाई था। उक्त दावे में तारी, रायमल की पुत्री होने का कोई कागज पेश नहीं किया गया है अज खुद कहा कि कागज पेश कर देंगे। यह कहना गलत है कि जमीन की किमतों में बढ़ोतरी के कारण हमने यह दावा पेश किया हो। मेरे को आलपुरा वाले खेत गए लगभग 30 साल हो गए दावावाली जमीन पर नही गया। यह जमीन रजिस्ट्री से सोदा करके प्रतिवादी संख्या 4 से 10 के द्वारा ली गई है। यह रजिस्ट्री सोदा किए हुए लगभग 30 साल हो गए है। यह कहना सही है कि मैं तारी का पति हूं। यह कहना गलत है कि मैं तारी का पति होने के कारण झूठे बयान दे रहा हूं।

9. प्रकरण में वादीगण साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
जैरूपा पुत्र रायमल	रेबारी	आलपुरा	डी0डब्ल्यू0–1

10. प्रकरण में जैरूपा पुत्र रायमल डी0डब्ल्यू0–01 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार कथन किये–
    - कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद में सजरा गलत प्रस्तुत किया गया है। वादीनी खरथाराम के परिवार की सदस्या नहीं है। वादीनी का प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के परिवार से कोई संबंध सरोकार नहीं है।
    - कि मौजा आलपुरा की आराजी खसरा संख्या 256, 257 प्रतिवादी संख्या 04–10 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। वादीनी द्वारा तथ्य छुपाकर वाद पेश किया है। उक्त भूमि में वादीनी किस प्रकार से 1/42 की हिस्सेदार है। इसका उल्लेख वादीनी द्वारा नहीं किये जाने से वाद विधि द्वारा वर्जित होकर काबिल–ए–खारिज है।
    - कि वादीनी प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के पिता रायमल की जायंदा पुत्री नहीं है। इस कारण रायमल की फौतगी के विरासत को चुनौती देने की वादीनी अधिकारिणी नहीं है।
    - कि मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 04–10 के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। उक्त आराजी भूलवंश गलत पर्चा लगान जारी होने से प्रतिवादी संख्या 01–03 के पूर्वज जवाना, रायमल एवं छोगा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। जिसका पंजीबद्ध बयनामा प्रतिवादीगण द्वारा नगद प्रतिफल प्राप्त कर निष्पादित करवाया है। उक्त आराजी पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

वक्त सेटलमेंट से आदिनांक तक कब्जा प्रतिवादी संख्या 04–10 एवं उनके पूर्वजों का रहा है। इस प्रकार उक्त पंजीबद्ध बयनामा को चुनौती देने का अधिकार वादीनी को नहीं है।

- कि स्व0 रायमल के फौत होने पर फौतगी की विरासत के नामांतरकरण में रायमल की सभी पुत्रियां सूजा, बीबी, सुकी के द्वारा आपसी सहमति से उक्त नामांतरकरण जेरूपा, माला, मगा के नाम से दर्ज करवाया गया। जिसके संबंध में कोई विवाद नहीं है।
- कि वादीनी का मुतनाजा आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। बिना कब्जे की मांग किये वादीनी द्वारा घोषणा का वाद पेश किया है। जो पोषणीय नहीं होने से काबिल–ए–खारिज है। वादीनी द्वारा मनगढत तथ्यों के आधार पर अपने आप को गलत वारिस बताकर उक्त दावा प्रस्तुत किया है। इस प्रकार वादीनी घोषणा का वाद पेश करने की अधिकारिणी नहीं है।
- कि वादीनी द्वारा अपने वादपत्र में पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त दावा में राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से काबिल–ए–खारिज है।
- कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण लगातार काबिज काश्त रहे हैं। वादकारण उत्पन्न होने के पश्चात् 12 वर्षों के भीतर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार वादीनी का वाद म्याद बाहर होने एवं वादीनी का कब्जा काश्त नहीं होने से वादकारण उत्पन्न नहीं होने के आधार पर काबिल–ए–खारिज है।

11. प्रकरण में जैरूपा पुत्र रायमल डी0डब्ल्यू0–01 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि यह जमीन ठाकरों के नाम से है। यह जमीन कहां आई हुई है मुझे पता नहीं है। इस जमीन पर हमने कभी काश्त नहीं की। जमीन पहले भी ठाकरों की थी और अब भी ठाकर ही काश्त करते हैं। यह कहना गलत है कि यह जमीन हमने ठाकरों को बेचान की गई हो। अज खुद कहा सेटलमेंट के समय हम डोवा गांव से आलपुरा में भेड़ चराने आए थे। उस समय जमीन हमारे नाम से गलत नप गई थी। जो हमने राजी खुशी ठाकरों को दे दी। वादीनी तारी से हमारा कोई संबंध नहीं है। वादीनी तारी का रायमल से कोई संबंध नहीं था। रायमल जब फौत हुआ तब नामांतरकरण जैरूपा, माला व मगा के नाम खोला गया। नामांतरकरण खोलने पर तारी फौत हो चुकी थी। वादीनी ने जैरूपा, माला व मगा को अपने सगे भाई गलत बताया है। अजखुद कहा कि उक्त वादीनी को गुजरात से शादी करके लाए। शपथ पत्र में कितने जगह हस्ताक्षर किये हैं मुझे पता नहीं है। शपथ पत्र में पद कितने है मुझे पता नहीं है। यह शपथ पत्र दो–तीन साल पहले पेश किया है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त आराजी पर तारी का टांका बना हुआ हो। वादीनी तारी किसकी पुत्री है। मुझे पता नहीं है। क्योंकि उसे गुजरात से लाए। यह कहना गलत है कि मैं तारी को जमीन नहीं देने के कारण झूठे बयान दे रहा हूं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

12. मैनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब प्रकरण का तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सर्वप्रथम द्वितीय तनकी के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में द्वितीय तनकी निम्न प्रकार हैः—

> *2.आया वादीया हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के तहत विधिक वारिस होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा अपने हिस्से से अधिक आराजी के किये गये बेचान के पंजीकृत दस्तावेज को वादीया के हक हिस्से तक आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है ?*

13. प्रकरण मे द्वितीय तनकी को साबित करने का भार वादी के उपर है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि यह तनकी सारतः हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1955 की धारा—06 से संबंधित है। उक्त तनकी के अवलोकन से तनकी में समाहित अनेक पक्ष व बिंदु सामने आते है। अतः उक्त तनकी का निर्णयन किये जाने से पूर्व प्रकरण में समाहित अनेक निम्न पक्ष व बिंदुओं का निर्धारण किया जाना अपेक्षित हैः—

    1. *वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01—03 का हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होना।*
    2. *मुतनाजा आराजी का पैतृक संपति होना।*
    3. *वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01—03 का पैतृक आराजी में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1955 की धारा—06 के तहत सहदायक होना।*
    4. *वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01—03 का पैतृक आराजी में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1955 की धारा—06 के तहत सहदायक होने के आधार पर अधिकार निहित होना।*
    5. *प्रतिवादी संख्या 01—03 का अपने परिवार के कर्ता/मुखिया होना।*
    6. *प्रतिवादी संख्या 01—03 द्वारा बेचान का विधिक आवश्यकताओं के लिए किया गया होना।*

14. प्रकरण में उक्त तनकी के विश्लेषण से पूर्व हिन्दू उतराधिकार से संबंधित संकल्पनाओं व कानून के निम्न बिंदुओं का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित हैः—

    1. *हिन्दू संयुक्त परिवार एवं संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
    2. *पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
    3. *सहदायिकी एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
    4. *सहदायिकी संपति में सहदायक के अधिकार की संकल्पना/अवधारणा।*
    5. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की संकल्पना/अवधारणा।*
    6. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा।*
    7. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

8. *सहदायिकी संपति के अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा।*
9. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण किये जाने पर क्रेता के कर्तव्य की संकल्पना/अवधारणा।*
10. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण के विरूद्ध सहदायक को उपलब्ध विकल्प/उपचार की संकल्पना/अवधारणा।*

15. प्रकरण में सर्वप्रथम हिन्दू विधि के तहत सर्वप्रथम हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी परिवार के सदस्य का एक पुरूष पूर्वज होना आवश्यक है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी पुरूष, उनकी पत्नियां, माताएं एवं अविवाहित पुत्री शामिल होती है।*
3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में शामिल अविवाहित पुत्री का विवाह होते ही वह पति के संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य बनकर शामिल हो जाती है तथा पिता के संयुक्त हिन्दू परिवार से अलग हो जाती है।*
4. *हिन्दू विधि में बिना संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति के भी संयुक्त हिन्दू परिवार अस्तित्व में आ सकता है।*
5. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के आधार पर एकता में बंधे रहते है।*
6. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के साथ—साथ भोजन एवं पूजा में भी एकता में बंधे रहते है।*
7. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार विधि द्वारा सृजित ईकाई है। किन्ही सदस्यों के द्वारा आपस में संयुक्त हिन्दू परिवार का सृजन नहीं किया जा सकता है।*
8. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में गोद द्वारा नये सदस्य जोड़े जा सकते है।*
9. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में किसी पुरूष सदस्य के नहीं होने की स्थिति में परिवार के अंत को रोकने हेतु गोद द्वारा नये सदस्य जोड़कर परिवार को आगे बढाया जा सकता है।*
10. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति पर एक का कब्जा सभी का कब्जा माना जाता है। इस*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार में संपति पर कब्जे के आधार पर एकता रहती है।

11. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति में से कोई सदस्य कभी भी विभाजन करवाकर पृथक हो सकता है। इस प्रकार सदस्य के पृथक होने पर वह संपति संयुक्त हिन्दू परिवार की नहीं रहती है।*
12. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। जिनका पृथक अस्तित्व नहीं होता है परंतु छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई अपना प्रबंधन पृथक करती हैं।*

16. प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति के पश्चात हस्तगत प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में वादीगण द्वारा सजरा प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के हिन्दू होने के कारण सभी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के पूर्वज रायमल के वारिस है। रायमल के तीन पुत्र क्रमशः जैरूपा पुत्र रायमल, सूजा पुत्र रायमल व माला पुत्र रायमल तथा तीन पुत्रीया तारी, बीवा, सुकी है। जैरूपा पुत्र रायमल एक पृथक पारिवारिक इकाई का निर्माण करते है। इसी प्रकार सूजा पुत्र रायमल एक पृथक पारिवारिक इकाई का निर्माण करते है। इसी प्रकार माला पुत्र रायमल भी परिवार की इकाई का निर्माण करते है। प्रकरण में अन्य प्रतिवादी द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में कोई विशेष व स्पष्ट खंडन नहीं किया है।

17. इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में वादी द्वारा सजरा प्रस्तुत किये जाने व साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट खंडन नहीं करने तथा गवाहों के प्रतिपरीक्षण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में कोई विरोधस्वरूप अभिकथन स्पष्ट नहीं होने के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य माना जाना उचित प्रतीत होता है।

18. अब प्रकरण में सहदायिकी संपति को समझने के लिए सर्वप्रथम पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। अतः प्रकरण में हिन्दू उतराधिकार के तहत पैतृक आराजी की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपति की वृहत संकल्पना को समझने के पश्चात हिन्दू विधि के पैतृक संपति के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

1. *किसी हिन्दू को अपने तृतीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता के पिता (परदादा) की संपति, अपने पिता व पिता के पिता (दादा) की मृत्यु पिता के पिता के पिता (परदादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त प्रथम परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
2. *किसी हिन्दू को अपने द्वितीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता (दादा) की संपति, अपने पिता की मृत्यु पिता के पिता (दादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त द्वितीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
3. *किसी हिन्दू को अपने प्रथम पीढी के पूर्वज पुरूष पिता की संपति विरासत में प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त तृतीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है। इस स्थिति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने के पश्चात धारा–8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति नहीं मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपति माना जाता है। अगर इस स्थिति में विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं उस स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति माना जाता है।*
4. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति को उस हिन्दू द्वारा अपने पुत्र, अपने पुत्र के पुत्र (पौत्र), अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) होने की स्थिति में आवश्यक रूप से धारण करना अनिवार्य है।*
5. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम–2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस आधार पर किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू की पुत्री भी जन्म से ही अधिकार निहित रखती है।*

19. हिन्दु विधि में सहदायिकी संपति में पैतृक आराजी, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की पृथक संपति एवं पैतृक संपति से उत्पन्न आय से हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा क्रय की गई संपति शामिल होती है। सहदायिकी संपति की वृहत संकल्पना के निम्न अवयव होते हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

1. *सहदायिकी या हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी अनिवार्य रूप से सहदायक संपति में निहित रहती है।*
2. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य विशेष की स्वअर्जित संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।*
3. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य को अन्य स्रोत यथा–वसीयत, दान व पैतृक आराजी के अतिरिक्त विरासत से प्राप्त संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य विशेष की पृथक संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।*
4. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति से उत्पन्न आय से खरीद की गई संपति आवश्यक रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*
5. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति को नुकसान पहुचाते हुए किसी सदस्य द्वारा खरीद की गई संपति अनिवार्य रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*

20. प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति के पश्चात हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 की पैतृक संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

21. साथ ही विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 की संपति प्राप्तकर्ता रायमल के वारिसान वादीगण है। इस प्रकार उक्त संपति के प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त संपति के प्रथम पीढी के पुरूष पुर्वज से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त संपति को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–03 द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के रूप में धारित किया जा रहा हैं। इस प्रकार उक्त संपति के प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त संपति प्रतिवादी संख्या 01–03 के प्रथम पीढी के पुरूष पुर्वज से विरासत में प्राप्त होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–03 की पैतृक संपति मानना विधिसंगत है।

22. प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य मानने के पश्चात विवादित आराजी के सहदायिकी संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इससे पहले प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत सर्वप्रथम सहदायक एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। सहदायक एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक इस प्रकार हिन्दू संयुक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में सभी सदस्यों का एक पुरूष पूर्वज होना आवश्यक है।*
2. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में पुरूष पुर्वज के तीन पीढीयों के वंशज सभी पुरूष शामिल होते है।*
3. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम—2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है।*
4. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में पुरूष पुर्वज के तीन पीढीयों के वंशज सभी पुरूषों का जन्म से ही अधिकार निहित हो जाता है।*
5. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र का पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र का पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में कोई सहदायक बिना विभाजन करवाये अपने हिस्से का अंतरण नहीं कर सकता है।*
7. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में प्रत्येक सहदायक का विभाजन तक अन्य सहदायकों के साथ समस्त सहदायिकी संपति के प्रत्येक भाग पर समान स्वामित्व माना जाता है।*
8. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में प्रत्येक सहदायक का विभाजन तक अन्य सहदायकों के साथ समस्त सहदायिकी संपति के प्रत्येक भाग पर समान कब्जा माना जाता है।*
9. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में कोई सहदायक बिना अन्य सहदायकों की सहमति के बिना कोई विधिक आवश्यकता के अपने हिस्से का अंतरण नहीं कर सकता है।*
10. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में सहदायक की मृत्यु पर सभी सहदायकों का हिस्सा बढ जाता है। इसी प्रकार सहदायिकी संपति में सहदायक के जन्म पर सभी सहदायकों का हिस्सा घट जाता है। इस प्रकार सहदायिकी संपति में किसी भी सहदायक का हिस्सा निश्चित नहीं होकर सहदायिकी में सदस्यों के जुड़ने व हटने पर परिवर्तित होता रहता है।*
11. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में किसी एक सहदायक द्वारा अपना अधिकार/हक त्यागने पर बाकी अन्य सहदायकों के पक्ष में समान अधिकार सृजन माना जाता है।*
12. *हिन्दू विधि में सहदायिकी विधि द्वारा सृजित ईकाई है। किन्ही सदस्यों के द्वारा आपस में सहदायिकी का सृजन नहीं किया जा सकता है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

13. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में गोद द्वारा नये सदस्य जोड़े जा सकते है।*
14. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में किसी पुरूष सदस्य के नहीं होने की स्थिति में सहदायिकी के अंत को रोकने हेतु गोद द्वारा नये सदस्य जोड़कर सहदायिकी को आगे बढाया जा सकता है।*

23. अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–03 उक्त सहदायिकी में सहदायक होना स्पष्ट है।

24. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार तथा सहदायिकी की इकाई तथा संबंधित ईकाई द्वारा धारित हिन्दू संयुक्त परिवार संपति व सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्त्ता की कानून की स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की गई हैः–
    1. *अगर पिता जीवित है तो पिता हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
    2. *अगर पिता जीवित नहीं है तो परिवार का वरिष्ठ सदस्य हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
    3. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। इन लघुतर हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई के पृथक–पृथक कर्ता हो सकते है।*
    4. *हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता पर अन्य सदस्यों से विशिष्ट स्थिति रखता है। हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता को संयुक्त परिवार के सदस्यों से सलाह मशविरा कर संयुक्त परिवार के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है।*

25. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः–
    1. *हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों के अतिरिक्त हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति का अंतरण नहीं कर सकता है।*
    2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—

- *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
- *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
- *धर्मार्थः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*

3. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत किये गए अंतरण से सभी सहदायक बाध्य होते है।

26. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के नाबालिक सहदायक के संबंध में प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति का अंतरण कर सकता है।

2. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।

3. हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता की अनुपस्थिति में संयुक्त हिन्दू परिवार के मुखिया/संरक्षक द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।

27. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति में कर्ता के अधिकार की अवधारणा से प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में जैरूपा पुत्र रायमल की पारिवारिक इकाई का मुखिया जैरूपा पुत्र रायमल प्रतीत होता है। इसी प्रकार सूजा पुत्र रायमल की पारिवारिक इकाई का मुखिया सूजा पुत्र रायमल प्रतीत होता है। इसी प्रकार माला पुत्र रायमल की पारिवारिक इकाई का मुखिया माला पुत्र रायमल प्रतीत होता है। इस संबंध में वादीगण अपने पारिवारिक इकाई के कर्ता नहीं होने के संबंध में कोई खंडन नहीं करते हुए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए है। इस आधार पर जैरूपा पुत्र रायमल, सूजा पुत्र रायमल व माला पुत्र रायमल के अपने लघुतर पारिवारिक ईकाई के कर्ता माना जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

28. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका, प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

    1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—*
        - *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
        - *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
        - *धर्मार्थेः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*

29. प्रकरण में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के विधिक आवश्यकता के तहत परिवार के लाभ हेतु संपति का बेचान द्वारा के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

    1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण कर सकता है।*
    2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
    3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता का आचरण विवेकपूर्ण पुरूष के समान होना आवश्यक है।*
    4. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु अंतरण एवं संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का युक्तियुक्त होना आवश्यक है।*

30. प्रकरण सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व के बारे में समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के तहत सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

1. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की उत्पन्न परिस्थितियां के बारे में क्रेता को अंतरण से पूर्व वास्तविक रूप से जानकारी करने का विधिक दायित्व होता है।*
3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने को साबित करने का विधिक भार/दायित्व क्रेता के उपर होता है।*
4. *सहदायिकी संपति को पूर्ववर्ती ऋण हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*
5. *सहदायिकी संपति को परिवार या सहदायिकी संपति के लाभ या निवेश हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*

31. इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है। हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा *आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ* अंतरण कर सकता है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के सहदायिकी संपति के प्रबंधन/अंतरण के पश्चात ही कर्ता द्वारा अंतरण के विरूद्ध अन्य सहदायक को कर्ता द्वारा अंतरण को विधिक आवश्यकता नहीं होने के आधार पर अंतरण किए जाने के आधार पर ही कर्ता द्वारा किए गए अंतरण को निष्फल करवाने का विकल्प/उपचार उपलब्ध है।

32. प्रकरण मे वादीगण निर्विवादित रूप से रायमल की पुत्रियां है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 के तहत किसी खातेदार की मृत्यु होने पर उस खातेदार की विरासत उस खातेदार के उपर अनुप्रयोज्य धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार दर्ज किए जाने के प्रावधान है। चूंकि रायमल अपनी मृत्यु के समय हिंदु विधि से शासित होता था इसलिए रायमल की विरासत हिंदु उत्तराधिकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम–1956 की धारा–06 के अनुसार दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। साथ ही हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 के अनुसार हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत सर्वप्रथम प्रथम श्रेणी के वारिसो पर निर्वसीयती मृतक हिंदु की विरासत दर्ज किए जाने के प्रावधान है।

33. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि हिन्दू विधि की उक्त स्पष्ट स्थिति के आलोक में प्रकरण में उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01–03 द्वारा अपनी सम्पति का अंतरण प्रतिवादी संख्या 04–10 को किया गया है। उक्त अंतरण के पश्चात प्रतिवादी संख्या 04–10 के नाम खातेदारी इंद्राज दर्ज होकर प्रतिवादी संख्या 01–03 के साथ सहखातेदार दर्ज हो गये है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01–03 द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 04–10 को पंजीकृत बयनामा द्वारा मुतनाजा आराजी का परिवार की विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण को वादीगण पर बाध्यकारी है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त मुतनाजा आराजी के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01–03 का अभिकथन व स्वीकृति के रूप मे अभिवचन किए है कि असल मे उक्त मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 04–10 की खातेदारी आराजी है। उक्त मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 04–10 वक्त बंदोबस्त के समय से काबिज काश्त है। उक्त बंदोबस्त के समय गलती से उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–03 के नाम दर्ज हो गई। इस बंदोबस्त की गलती का ज्ञान होने पर प्रतिवादी संख्या 01–03 द्वारा प्रतिवादी संख्या 04–10 के नाम उक्त आराजी दर्ज करवाई है। उक्त प्रतिवादी संख्या 01–03 के अभिकथन व स्वीकृति से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–19 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के लागु होने के दिनांक 15.10.1955 के समय मौके पर काश्तकार के रूप मे काबिज काश्त काश्तकारो को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रावधान के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 04–10 का प्रकरण बनने के कारण उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01–03 का कोई अधिकार नही है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01–03 के पूर्वज रायमल का ही कोई अधिकार नही होने की स्थिति मे वादी व प्रतिवादी संख्या 01–03 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत कोई अधिकार निहित नही होते है। इस प्रकार अनुतोष संख्या 01 को वादीगण साबित करने में असफल रहे है। इस प्रकार अनुतोष संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है।

34. प्रकरण मे द्वितीय तनकी के वादीगण के विरूद्ध साबित होने के कारण मुतनाजा आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01–03 के पूर्वज रायमल का ही कोई अधिकार नही होने की स्थिति मे वादी व प्रतिवादी संख्या 01–03 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत कोई अधिकार निहित नही के कारण अन्य तनकीयात पर पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता व औचित्य नही है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 29.09.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

तारी बनाम जेरूपा
2022/250
निर्णय दिनांकः–29.09.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2022/250(88/2022) दर्ज तिथिः–05.08.2022

1. तारी पुत्री रायमल पत्नी वीथाराम
   जाति देवासी निवासी बांटा हाल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. जेरूपा पुत्र रायमल
2. माला पुत्र रायमल
3. मगा पुत्र रायमल
   जाति देवासी निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
4. उदयभान पुत्र मूलसिंह
5. उषाकंवर पत्नी मुलसिंह
6. चन्द्रवीरसिंह पुत्र मूलसिंह
7. मेघसिंह पुत्र किशोरसिंह
8. रतनसिंह पुत्र किशोरसिंह
9. राजूसिंह पुत्र किशोरसिंह
10. सवाईसिंह पुत्र किशोरसिंह
    जाति राजपूत निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री हरिशचन्द्र चौधरी
प्रतिवादीः–श्री नारायण कुमावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक खारिज किया जाता है।

पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:18 IST
Reason: SelfAttested

तारी बनाम जेरूपा
2022 / 250
निर्णय दिनांकः–29.09.2025